न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः राजेन्द्र भट्ट, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 02/2021 निगरानी (GCMS 2021/60)
पंजीयन दिनांक– 16/06/2021
निर्णय दिनांक– 06/05/2024

1. श्री शांतिलाल पिता लखमीचंद चण्डालिया, निवासी जैन मंदिर के पास सनवाड, वार्ड नम्बर–6 सनवाड–फतहनगर, तहसील मावली, जिला उदयपुर।
2. श्री मुन्नालाल पिता सुंदरलाल लावटी, निवासी नेहरू पार्क के पास, फतहनगर, तहसील मावली, जिला उदयपुर।

–अपीलांट

बनाम

1. श्रीमती रसीदाबाई बेवा शैफुद्दीन बोहरा, निवासी फतहनगर, तहसील मावली, जिला उदयपुर।
2. श्री जेनब शैफुद्दीन बोहरा, निवासी फतहनगर, तहसील मावली, जिला उदयपुर।
3. नगरपालिका फतहनगर–सनवाड, जरिये अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, फतहनगर–सनवाड, तहसील मावली, जिला उदयपुर।

–रेस्पोडेंट

उपस्थितिः–

1.	श्री सम्पतलाल बोहरा	अधिवक्ता अपीलांट
2.	श्री पन्नालाल मारू	अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2
3.	श्री मनीष श्रीमाली	अधि. रेस्पो. सं. 3 बवक्त बहस अनुपस्थित

निगरानी अन्तर्गत धारा–73(2) राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 विरूद्ध नगरपालिका, फतहनगर–सनवाड के आदेश संख्या 01/1114 दिनांक 25.07.2017 एवं पट्टा दिनांक 19.09.2017

<u>निर्णय</u>

दिनांक 06/05/2024

- अपीलांट द्वारा यह निगरानी अंतर्गत धारा 73(2) राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 विरूद्ध निर्णय नगरपालिका,

फतहनगर–सनवाड के आदेश संख्या 01/1114 दिनांक 25.07.2017 एवं पट्टा दिनांक 19.09.2017 के विरूद्ध दिनांक 15.06.2021 को प्रार्थना पत्र बाबत धारा 5 मयाद अधिनियम मय शपथ एवं प्रार्थना पत्र बाबत स्थगन आदेश मय शपथ पत्र के साथ इस न्यायालय में पेश की गई।

- इस प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि निगरानी में वर्णित आराजी संख्या 1110, 1111 एवं 1112 पर अपीलांट्स का कब्जा था, जिस पर रेस्पोडेंट संख्या 3 नगरपालिका द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के पिता शैफुद्दीन बोहरा पिता अब्दुल हुसैन बोहरा, निवासी फतहनगर को आदेश संख्या 01/1114 दिनांक 25.07.2017 से एवं क्रमांक 10 दिनांक 19.09.2017 से पट्टा जारी किये जाने से व्यथित/असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा यह निगरानी पेश की गई है।

- यह निगरानी दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री सम्पतलाल बोहरा उपस्थित, रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री पन्नालाल मारू उपस्थित तथा रेस्पोडेंट संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता श्री मनीष श्रीमाली बवक्त बहस अनुपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 30.04.2024 को सुनी गई।

- अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी लिखित बहस बहस पेश कर बताया कि मामले में लिमिटेशन लागू नहीं होती है, क्योंकि धारा 73 नगरपालिका अधिनियम 2009 के तहत कोई मयाद मुकर्रर नही कर रखी है। निगरानी के साथ धारा 96 जा. दी. की आवश्यकता भी नही है। मामले में सेफुद्दीन का विवादित जमीन से कोई संबंध नहीं है। यह जमीन जमाबंदी में नगरपालिका के नाम आबादी भूमि है तथा इस भूमि के पट्टे दिये ही नहीं जा सकते है, जानबूझकर नगरपालिका के अंदर फर्जी पट्टे जागीरदार के दिये

जाना बताकर आराजी नम्बर 1111, 1112 व 1110 कुल किता 3 कुल रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा भूमि के पट्टे दिये गये जबकि नगरपालिका अधिनियम की धारा 69 के प्रावधान भी लागू नही होते है, परंतु नगरपालिका ने इन सब बातों को ध्यान में रखे बिना गैर कृषिक भूमि का अभर्यपण और अनुज्ञा की मंजूरी के नियम 2015 के तहत यह पट्टा जारी किया गया जो नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह भूमि आबादी भूमि है तथा यह भूमि नगरपालिका में वेस्ट करती है तथा इस भूमि का जागीरदार से कोई संबंध नही था। उक्त भूमि सेफुद्दीन के किसी भी पारिवारिक सदस्य के नाम नही रही है, क्योंकि जागीरदार की माफियें सन् 1958 में रिज्यूम हो चुकी है तथा जागीरदार ने कोई पट्टे जारी नहीं किए। जागीरदार के पास पट्टा बही रहती थी, जिसमें हर पट्टे के नम्बर डाले जाते थे तथा पैसा जमा करने की रसीद होती थी तथा जागीरदार द्वारा उसका हवाला धारा–22 जागीरी रिजम्पशन एक्ट के तहत पेश की जाने वाली पर्सनल प्रोपर्टी की लिस्ट में उसका वर्णन होता था। नगरपालिका को अपनी जमीन का दूसरों के नाम नियमन करने का कोई अधिकार नही है। सेफुद्दीन ने जानबूझकर नगरपालिका के खिलाफ गलत दावा जिला न्यायाधीश के यहा पेश किया गया था, तथाकथित जमीन पर प्रार्थीगण का कब्जा होते हुए उन्हें पक्षकार भी नही बनाया गया तथा जानबूजकर गलत वाद पेश किया। कथित जमीन पहले सरकारी भूमि के रूप में दर्ज थी तथा जब से नगर पालिका बनी तब से कथित भूमि नगरपालिका को दी गई तथा नगरपालिका फतहनगर–सनवाड के नाम राजस्व रेकार्ड यानि जमाबंदी में भी दर्ज है। संवत् 2056 से 2059 की जमाबंदी में यह भूमि राजकीय भूमि के अलावा जोत नाकाबिल काश्त भूमि आबादी दर्ज है तथा उसी जमाबंदी में नामांतरकरण संख्या 2387 से दिनांक 04.02.2022 को पूरा खाता नगरपालिका के दर्ज करने का स्वीकृत हुआ। कब्जा अपीलांट्स का इस भूमि पर चला आ रहा

है, परंतु सेफुद्दीन ने नगरपालिका से कथित जमीन का विक्रय नहीं होने दिया तथा इसके पट्टे अपने नाम जारी करवा दिये। यह पट्टे नगरपालिका द्वरा निलामी से विक्रय किये बिना ही तथा अपने सेलऑफ आबादी लैण्ड के नियम 1974 के विपरीत होकर केवल सेफुद्दीन के नाम से कथित जमीन को नियमन करते हुए उसका पहले से टाइटल मानकर पट्टे जारी कर दिये जो गलत होकर निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार किया जाने बाबत निवेदन किया गया।

- अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने अपनी बहस में बताया कि प्रकरण में वर्णित आराजीयात मौजा सनवाड में स्थित होकर किस्म जमीन आबादी होना स्वीकार है, तथा जहां तक विपक्षी संख्या 1 व 2 की जानकरी है इन आराजीयात बाबत संवत् 1956 से 1959 में कोई जमाबंदी बनी ही नहीं। इतना ना ही नहीं मौजा सनवाड की किसी भी आराजीयात की कोई भी जमाबंदी 122 वर्षो पुरानी उपलब्ध ही नहीं है। इस कारण नामांतरकरण संख्या 2387 के आधार पर जमाबंदी संवत् 1956 से 1959 में दर्ज होने की स्वीकृति होना प्रश्न ही नहीं उठता है। इस जमीन का मालिक व काबिज नगरपालिका होना सरासर गलत है। गलत आधारों पर वादग्रस्त जमीन नगरपालिका के नाम दर्ज हो गयी थी, किन्तु वर्तमान समय में विपक्षी संख्या 1 व 2 ही मालिक होकर काबिज है। वास्तव में यह भूमि विपक्षी संख्या 1 व 2 के पूर्वजों को प्राप्त हुई है। नगरपालिका के अधिकारियों/कर्मचारियों का सेफुद्दीन से मिलीभगत कर लाखों रूपया खाकर करोडों रूपयों की जमीन के पट्टे नियमन बताकर जारी किया जाना, जो बिना अधिकार के होकर वॉईड होना, ग्रामवासियों की आपत्ति कि जमीन का सेफुद्दीन से कोई संबंध नहीं होना, धारा 90क की कार्यवाही नगरपालिका द्वारा निरस्त किया जाना आदि कथन मिथ्या होकर मनगढंत अंकित किये गये है। विपक्षी संख्या 1 व 2 के पति एंव पिता द्वारा जो वाद जिला न्यायालय, उदयपुर के समक्ष पेश किया

गया था उसे सेफुद्दीन द्वारा पुनः वाद प्रस्तुत कर सकने की शर्त के साथ विड्रों किया जाने से खारिज किया गया था। सन् 2017 में मिल मिलाकर सेफुद्दीन के नाम पट्टे जारी किया जाना, सेफुद्दीन का टाईटल नहीं होना, जमीन पर अपीलांट्स का कब्जा होना, अपीलांट का हितबद्ध व्यक्ति होना, सेफुद्दीन द्वारा जागीरदार के फर्जी पट्टे बनाकर पेश करना, पट्टे फर्जी बनवाना आदि कथन भी प्रार्थीगण ने मिथ्या एवं मनगढंत अंकित किये है। दावे के चलते हुए पट्टे जारी नहीं किये जा सकना, केवल मात्र पैसा ले देकर गलत पट्टे जारी करना, नगरपालिका को कोई हक, अधिकार नहीं होना, सेफुद्दीना द्वारा लाखों रूपये रिश्वत खिलाने के लिए कहना, बिगर टाईटल के पट्टे जारी करना, अपीलांट्स का कथित जमीन पर काफी वर्षो से कब्जा चला आना आदि कथन भी मिथ्या है। यह सफेद झूंठ है कि विपक्षी संख्या 1 व 2 ने दिनांक 02.04.2021 को प्रार्थीगण को यह कहा हो कि आप कुछ पैसा लेकर कब्जा छोड़ दो, जब कब्जा ही प्रार्थीगण का प्रश्नगत जमीन पर आज तक एक क्षण के लिये भी नहीं रहा है, तो विपक्षी संख्या 1 व 2 द्वारा इस प्रकार से कहे जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। साथ ही अपील अपीलांट्स खारिज किये जाने बाबत निवेदन किया गया।

- अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 द्वारा निगरानी का जवाब, प्रार्थना पत्र बाबत मयाद अधिनियम का जवाब, तथा प्रार्थना पत्र स्थगन आदेश का जवाब तथा दस्तावेजों की सूची मय दस्तावेज पेश किये जो राजकीय दस्तावेज होकर प्रकरण से सुसंगत होने से रेकार्ड पर रखे जाने की अनुज्ञा दी जाती है।

- प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि किसी भी निगरानी प्रकरण में आदेश 41 जप्ता दीवानी के तहत निगरानी प्रस्तुत करने का अधिकार अधीनस्थ न्यायालय के पक्षकारों का ही होता है, अन्यथा किसी भी पक्षकार को न्यायालय की अनुज्ञा दफा 96 जाप्ता दीवानी के तहत प्रस्तुत कर ही निगरानी प्रस्तुत किये जाने का

अधिकार रहता है। दफा 96 जाप्ता दीवानी आवेदन में अपीलांट को पृथक से आवेदन प्रस्तुत कर प्रकरण में आवश्यक, हितबद्ध एवं व्यथित पक्षकार होने के कारण दर्शित करते हुए न्यायालय की अनुज्ञा प्राप्त कर ही वह निगरानी प्रस्तुत कर सकता है। अतएवं इस प्रकरण में दफा 96 जाप्ता दीवानी के आज्ञापक प्रावधानों के तहत कोई आवेदन अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। अपीलांट द्वारा कोई आवेदन दफा 96 जाप्ता दीवानी का प्रस्तुत कर न्यायालय की अनुज्ञा प्राप्त किये बिना जो निगरानी प्रस्तुत की गयी है, वह विधि के आज्ञापक प्रावधानों के कारण खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(राजेन्द्र भट्ट)
संभागीय आयुक्त
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

(राजेन्द्र भट्ट)
संभागीय आयुक्त
उदयपुर